संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 07/2011-एस.सी.आर.ए. **दिनांक : 26.03.2011**

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 25.04.2011)

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, 2011

(आयोग की वेबसाइट - http://www.upsc.gov.in)

फा.सं. 5/3/2010-प. 1 (ख)-भारत के राजपत्र दिनांक **26 मार्च, 2011** में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार भारतीय रेलवे के यांत्रिक विभाग में स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **31 जुलाई, 2011** को एक परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीख में परिवर्तन कर सकता है. यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से अलग केन्द्र दे सकता है. जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा. किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेज देना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है. ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा. किंतु **24 मई, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या **42** है.

टिप्पणी : चार रिक्तियां प्रकार्यात्मक वर्गीकरण ओ एल, ओ ए सहित चलने में असमर्थ शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा नियत रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा.

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या पूर्वी जांबिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो. परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए.

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही दिया जाएगा.

(II) आयु-सीमा : (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली अगस्त 2011 को 17 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 21 वर्ष न हुई हो. अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त, 1990 से पहले और पहली अगस्त, 1994 के बाद का न हो.

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक.

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं.

(iii) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(iv) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों.

(v) जिन भूतपूर्व सैनिकों, (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली अगस्त, 2011 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 2011 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता, या (3) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(vi) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पहली अगस्त 2011 तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा.

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है

शर्तो को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णतः अनंतिम होगा ।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है

उम्मीदवारों के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों की जांच की जाती है

2. आवेदन कै

(क) उम्मीदवार **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है

(ख) उम्मीदवार, आयोग द्वारा उसकी परीक्षाओं के लिए निर्धारित नया सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई) में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है

के परिशिष्ट-III में उल्लिखित) से ₹ 30/- (तीस रुपए मात्र) के नकद भुगतान पर खरीदा जा सकता है

यदि उम्मीदवारों को विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघरों/डाकघरों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो, तो उन्हें तत्काल संबंधित डाकपाल अथवा संघ लोक सेवा आयोग के "प्रपत्र आपूर्ति निगरानी प्रकोष्ठ" की दूरभाष सं. 011-23389366/फै

(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है II (क) में दिए गए "ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश" औ II (ख) में दिए गए "ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश" सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

3. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन पत्र 25 अप्रै

जिसके बाद लिंक निष्कि य हो जाएगा ।

(ख) ऑफलाइन :

सभी ऑफलाइन आवेदन पत्र दस्ती या पोस्ट/स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा "परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग,धौ " के पास **25 अप्रै** या उससे पहले पहुंच जाने चाहिएं ।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि निर्दिष्ट काउंटर (काउंटरों) पर सिर्फ 5 बजे तक दस्ती रूप में एक बार में केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा औ

में नहीं लिए जाएंगें ।

तथापि, विदेशों में या इस नोटिस के पै

के मामले में, केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा (दस्ती या कुरियर द्वारा नहीं) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख **2 मई, 2011** है

4. गलत उत्तरों के लिये दंड :

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (ऋणात्मक अंकन) दिया जायेगा ।

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग परिसर में गेट 'सी' के निकट संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते है

6. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है

संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है

जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जन सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है

सहित कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती ।

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है

लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती । आयोग इस संबंध में किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।"

(vii) नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक.

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II) (ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु-सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे.

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है.

टिप्पणी-III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3(II) (ख) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त नियम 3(II) (ख) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की, अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

ऊपर उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी.

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो. ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं. आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अनुदेशों के इस भाग में आये हुए ''मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र'' वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न उसे स्वीकार किया जायेगा.

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के कालम 3 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरूद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(III) शैक्षिक योग्यताएं :

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार ने -

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो, ऐसे गणित के स्नातक भी, जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों में से कम से कम किसी एक को डिग्री के विषय के रूप में लिया हो, आवेदन कर सकते हैं; अथवा

(ख) स्कूली शिक्षा की (10+2) प्रणाली के अंतर्गत हायर सैकेण्डरी (12 वर्ष) परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा पास की हो या मद्रास विश्वविद्यालय (सान्ध्य कालेज) के स्नातक कला विज्ञान के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रोन्नति के लिए तीसरे वर्ष की सेवा परीक्षा पास की हो जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर/माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो. जिन उम्मीदवारों ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से एक विषय के साथ पास की हो वे आवेदन प्रपत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यवसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष के बाद ली गई हो प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो; या

(च) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो वे आवेदन पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(छ) केरल और कालीकट के विश्वविद्यालयों से गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर पूर्व-स्नातक परीक्षा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो.

टिप्पणी (1) : जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से पात्र समझा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनके प्राप्तांकों का कुल योग संबंधित विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अंकों की सीमा में हो.

टिप्पणी (2) : ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र भेज सकते हैं. यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठ रहे हों तो वह भी आवेदन प्रपत्र दे सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को यदि वह अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन उनके प्रवेश को अनंतिम समझा जाएगा तथा अर्हक परीक्षा को पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जायेगा. उक्त प्रमाण परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी (3) : आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन ऐसी अर्हताएं हों, जिसके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है.

टिप्पणी (4) : राज्य तकनीकी-शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए इंजीनियरी डिप्लोमा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं है.

(IV) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 2011 में यथा प्रकाशित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा 2011 की नियमावली के परिशिष्ट-II में दिये गये शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किये गए ₹ 50/- (रुपये पचास मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा.

(ख) जो उम्मीदवार **ऑफलाइन** (सामान्य आवेदन प्रपत्र द्वारा) आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टाम्प द्वारा **₹ 100/- (केवल एक सौ रुपये)** की फीस अदा करनी होगी. भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकटें नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें. जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किन्तु आवेदन प्रपत्र में दिये गये स्थान के अंदर अपने आप आ जाए. रद्द किए गए टिकट पर छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके.

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह ''051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क'' के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए.

जिन आवेदन पत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा. यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं है जो निम्नलिखित अनुच्छेदों के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करते हैं.

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा.

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों. आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण- पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

''केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट'' के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकटें स्वीकार नहीं की जाएंगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान इत्यादि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा.

टिप्पणी : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा.

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है

(ख) उम्मीदवार, आयोग द्वारा अपनी परीक्षाओं के लिए निर्धारित सामान्य (कॉमन) आवेदन पत्र में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है

मशीनों पर प्रोसेस किया जा सकता है

आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल हैं, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर के **निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से ₹ 30 (केवल तीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं.** प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं. **यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है.** उम्मीदवार, जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति का

प्रयोग नहीं करना चाहिए. चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए. आवेदन प्रपत्र को भरते समय, **कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें.** उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए. **आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा. यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.** विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए.** लिफाफा 'परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात **स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, 2011 भी लिखना चाहिए.**

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए. अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो लोक-उद्यमों में सेवारत हैं उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई प्रपत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.

नोट 1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए. एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र दर्शाते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में, स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

नोट 2 : चूंकि इन सामान्य आवेदन प्रपत्रों की जांच संगणक पद्धति द्वारा की जाएगी, उम्मीदवारों को अपने सामान्य आवेदन प्रपत्र को सावधानीपूर्वक ठीक से भरना चाहिए. आवेदन प्रपत्र भरने के लिए परिशिष्ट-II (ख) में दिए गये आवश्यक अनुदेश देखें. आवेदन प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें. अधूरे या गलत भरे हुए आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

(घ) उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा.

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा. यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम जिसके नवम्बर, 2011 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें :

1. आयु का प्रमाण-पत्र.
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र जिसमें परीक्षा के विषयों का उल्लेख हो.
3. जहां लागू हो, वहां निर्धारित प्रपत्र में अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र.
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
5. जहां लागू हो, वहां शारीरिक रूप से विकलांग होने के समर्थन में प्रमाण पत्र.

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत आवेदन प्रपत्र भेजेगा. उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां इस प्रपत्र के साथ आयोग को भेजनी होंगी. मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे. यदि उनके द्वारा दिये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 2011 में अधिसूचित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 के नियमों के नियम 11 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है.

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, **या**

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, **या**

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, **या**

(iv) जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, **या**

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना, या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, **या**

(vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित साधन अपनाना, **या**

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, **या**

(viii) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, **या**

(ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, **या**

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, **या**

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, **या**

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, **या**

(xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करना या करने के लिए किसी को उकसाया हो,

तो उस पर अपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या

(ख) (I) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए;

(II) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और स्थायी रूप से या कुछ अवधि के लिए विवर्जित, किया जा सकता है; और

(ग) अगर वह सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र होगा.

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर उसको न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **25 अप्रैल, 2011, रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा.

(ख) ऑफलाइन

(i) पूरी तरह भरा हुआ ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र **परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को 25 अप्रैल, 2011** को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए.

(ii) असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों से केवल डाक द्वारा **(डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा)** प्राप्त होने वाले ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों के मामलों में अंतिम तारीख **2 मई, 2011** है.

उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा. वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान पर ध्यान दिए बिना, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा.

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कालम 13 में अपने आवासीय पते में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय सीमा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उनका आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं.

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से जमा करके उसकी समुचित पावती प्राप्त कर सकते हैं. आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के संबंध में आयोग उत्तरादायी नहीं होगा.

टिप्पणी-III : उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि निर्दिष्ट काउंटर पर सिर्फ सायं 5 बजे तक एक बार में केवल एक ही आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा न कि बड़ी संख्या में.

टिप्पणी-IV : कूरियरों अथवा किसी प्रकार की कूरियर सेवाओं द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउंटर पर **"दस्ती रूप में"** जमा किए गए आवेदन पत्रों के रूप में माना जाएगा.

निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

7. आवेदनों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किए गए पावती कार्ड को उनके आवेदन की प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप आयोग कार्यालय द्वारा विधिवत मुहर लगाकर पावती कार्ड उम्मीदवार को भेज दिए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार 30 दिनों के अंदर पावती प्रमाण पत्र नहीं पाता है, तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र संख्या एवं परीक्षा का नाम और वर्ष दर्शाते हुए आयोग से अविलंब संपर्क करना चाहिए. जो उम्मीदवार स्वयं आयोग के काउंटर पर अपने आवेदन प्रपत्र जमा कराते हैं उन्हें काउंटर पर ही पावती पत्र जारी कर दिया जाएगा. केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है. उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा.

8. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी. उम्मीदवारों को अनुक्रमांक आदि दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा. प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा. **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से**

कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.

यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे. अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण है.

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा.

(ii) केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है. आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी. उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं.

(iii) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

(iv) उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण प्रपत्र प्राप्त होने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण प्रपत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य आयोग के कार्यालय को लौटा दिए जाने चाहिए.

(v) यदि उम्मीदवार को आयोग से निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित प्रवेश प्रमाण प्रपत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के निवेदन के साथ लौटा दिया जाना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी आवेदन प्रपत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

1. परीक्षा का नाम और वर्ष.
2. आवेदन प्रपत्र संख्या.
3. अनुक्रमांक यदि प्राप्त हुआ हो.
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.

ध्यान दें : (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए.

ध्यान दें : (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ध्यान दें : (iii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र की संख्या भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेनी चाहिए.

9. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए. तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी.

कोड	शरीरिक अपेक्षाएं
एमएफ (MF)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य.
पीपी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य.
एल (L)	3. उठाकर किए जाने वाले कार्य.
केसी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य.
बीएन (BN)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य.
एस (S)	6. बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य.
एसटी (ST)	7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य.
डब्ल्यू (W)	8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य.
एसई (SE)	9. देखकर किए जाने वाले कार्य.
एच (H)	10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य.
आरडब्ल्यू (RW)	11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य.
सी (C)	12. वार्तालाप

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण/निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड	कार्य
बीएल (BL)	1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं.
बीए (BA)	2. दोनों भुजाएं खराब क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता
बीएलए (BLA)	3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब
ओएल (OL)	4. एक पैर खराब (दायां या बायां) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
ओए (OA)	5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
बीएच (BH)	6. सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)
एमडब्ल्यू (MW)	7. मांसपेशीय दुर्बलता या सीमित शारीरिक सहनशक्ति.
बी (B)	8. नेत्रहीन.
पीबी (PB)	9. आंशिक नेत्रहीन.
डी (D)	10. बधिर.
पीडी (PD)	11. आंशिक बधिर.

10. आवेदन प्रपत्र की वापसी :

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा की योजना, पाठ्य विवरण, आवेदन प्रपत्र भरने के लिए मार्गदर्शक संकेत, आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज के लिए अप्रेन्टिसशिप की शर्तें, वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश क्रमशः परिशिष्ट-I, II, III, IV तथा V में दिए गए हैं.

(कुलदीप कुमार सहरावत)
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

खण्ड-I

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी.

भाग-1 : नीचे दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 600 अंकों की लिखित परीक्षा.

भाग-2 : व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अधिकतम अंक 200 होंगे. यह केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल घोषित किए जाएंगे.

2. भाग-1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

	विषय	कोड संख्या	अनुमत समय	अधिकतम अंक
प्रश्न पत्र-1	सामान्य योग्यता परीक्षा (अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण)	01	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-2	भौतिक विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन)	02	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-3	गणित	03	2 घंटे	200
			कुल अंक	600

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र में 'वस्तुपरक (बहु विकल्पीय उत्तर) प्रश्न' होंगे. प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे.
4. प्रश्न-पत्र में जहां आवश्यक हो एस.आई (S.I.) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा.
5. प्रश्न-पत्र लगभग इण्टरमीडिएट स्तर के होंगे.
6. उम्मीदवार उत्तरों को अपने हाथ से लिखें. उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
7. आयोग परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है.
8. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते, अतः वे इन्हें परीक्षा भवन में न लाएं.

खण्ड-II
परीक्षा का पाठ्यक्रम
प्रश्न पत्र-I

(i) अंग्रेजी

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें उम्मीदवार की समझ और भाषा पर अधिकार का पता लग सके.

(ii) सामान्य ज्ञान

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिसमें उम्मीदवार को अपने चारों ओर के वातावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना है. प्रश्न के उत्तरों का स्तर उस स्तर का होगा जैसा कि 12वीं कक्षा या समकक्ष स्तर के विद्यार्थियों का होता है.

व्यक्ति और उसका परिवेश :

जीवन का विकास, पौधे और पशु, वंशागत और परिवेश, आनुवंशिकी, प्रकोष्ठ-क्रोमोसोम, जीन्स, मानव शरीर की जानकारी-पोषाहार, संतुलित भोजन, प्रति-स्थायी खाद्य, महामारियों और सामान्य रोगों की रोकथाम सहित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम, खाद्य अपमिश्रण, खाद्यानों और उनसे निर्मित उत्पादों का सही प्रकार से स्टोर करना तथा परीक्षण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य और कच्चे सामान का उत्पादन, पशुओं तथा पौधों का संप्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, खाद और उर्वरक, फसल रक्षण उपाय, अधिकतम किस्में और हरित क्रांति, भारत के मुख्य अनाज और नकदी फसलें. सौर परिवार और पृथ्वी, ऋतुएं, जलवायु, मौसम, भूमि-इनकी रचना और अपरदन, वन तथा उनके उपयोग, प्राकृतिक संकट (चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्गार). पर्वत और नदियां और भारत में सिंचाई के लिए उनका योगदान, भारत में प्राकृतिक साधनों और उद्योगों का वितरण, तेल सहित भूगत खनिजों की खोज, भारत के वनस्पतिजात और प्राणिजात के विषय संदर्भ के साथ प्राकृतिक साधन.

भारत का इतिहास, राजनीति और समाज :

वैदिक, महावीर, बुद्ध, मौर्य, शुंग, आन्ध्र, कुशान, गुप्तकाल (मौर्य कालीन स्तंभ, स्तूप, कन्दराएं, सांची, मथुरा और गन्धर्व विश्वविद्यालय मंदिर वास्तुकला अजन्ता और एलोरा).

इस्लाम के आने के साथ नई शक्तियों की उत्पत्ति और व्यापक संबंधों की स्थापना. सामन्तवाद से पूंजीवाद में स्थानान्तरण, यूरोपीय संबंधों की शुरूआत. भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना. राष्ट्रीयवाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संग्राम.

भारत का संविधान और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं-लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता के अवसर और सरकार की संसदीय प्रणाली प्रमुख-राजनैतिक विचार धाराएं-लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और अहिंसा के गांधीवाद विचार. भारतीय दल, प्रभावशाली गुट, लोकम और प्रेस, चुनाव प्रणाली.

भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता-शस्त्र निर्माण होड़, शक्ति संतुलन, विश्व संगठन-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक. पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और विदेशों में घटित प्रमुख घटनाएं (खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलाप सहित).

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं-जाति व्यवस्था से हाल में हुए परिवर्तनों और दृष्टिकोण, अल्पसंख्यक सामाजिक संस्थाएं-विवाह, परिवार, धर्म और संस्कृति संक्रमण.

श्रम विभाजन, सहकारिता, टकराव और प्रतियोगिता, सामाजिक नियंत्रण, पुरस्कार और सभा, कला, कानून, रीतिरिवाज, गलत प्रचार, लोकमत, सामाजिक, नियंत्रण की एजेंसियों-परिवार, धर्म, राज्य शैक्षिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन के कारण, आर्थिक, औद्योगिकीय, जनसांख्यिकीय, संस्कृतिक क्रांति की संकल्पना.

भारत में सामाजिक विघटन

जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनजीवन में भ्रष्टाचार युवक अशांति, भीख मांगना, औषध, अपराधवृत्त और अपराध, गरीबी और बेरोजगारी,

भारत में सामाजिक योजना और सामुदायिक विकास कल्याण और श्रम कल्याण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण.

धन कराधान, मूल्य जनसांख्यिकीय, दृष्टिकोण राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, निजी और लोक क्षेत्र, योजना में आर्थिक और गैर आर्थिक कारण, संतुलित बनाम असंतुलित विकास, कृषि बनाम औद्योगिक विकास, स्फीति और साधन जुटाने के संबंध में मूल्य स्थिरीकरण समस्याएं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं.

(iii) मनोवैज्ञानिक परीक्षण

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें उम्मीदवारों को बुनियादी जानकारी और यांत्रिक अभिरूचि का मूल्यांकन हो सके.

प्रश्न पत्र II

(i) भौतिकी

वर्नियर, स्क्रूगेट, स्फैरोमीटर और आप्टीकल लीवर का प्रयोग करते हुए लंबाई की माप.

समय और द्रव्यमान का माप :

सरल रैखिक गति और विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच संबंध.

न्यूटन के गति का नियम, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा और शक्ति.

घर्षण गुणांक :

बल क्रिया के अंतर्गत पिंडों का संतुलन बल का आघूर्ण युगपत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत. पलायन वेग. गुरुत्व के कारण त्वरण, द्रव्यमान तथा भार. गुरुत्व केन्द्र. एक समान चक्रीय गति, अभिकेन्द्र बल. सरल आवर्त गति, सरल लोलक. द्रव में दबाव और इसकी विभिन्न गहराई. पास्कल का नियम. आर्कमिडीज का सिद्धांत, तैरने वाले पिण्ड, परिवेशी दबाव और इसकी माप.

तापमान और इसकी माप. तापीय प्रसार. गैस नियम और परम ताप. विशिष्ट ऊष्मा. गुप्त उष्मा और उसकी मांप. गैसों की विशिष्ट उष्मा. उष्मा का यांत्रिक समकक्ष. आंतरिक ऊर्जा और उष्मागति का पहला नियम, समपाती और रुदोष्म परिवर्तन.

उष्मा संचरण; तापीय चालकता :

तरंग गति, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें, प्रगामी और अप्रगामी तरंगें. गैस में ध्वनि का वेग और विविध कारणों पर निर्भरता. अनुनाद परिघटन (वायु स्तंभ और रज्जु).

प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वक्र दर्पणों और लैंसों द्वारा बिंब रचना. सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी (दृष्टि दोष).

प्रिज्म : विचलन और प्रकीर्णन. न्यूनतम विचलन दृश्य स्पेक्ट्रम.

छड़ चुम्बक का क्षेत्र, चुम्बकीय आघूर्ण. भू-चुम्बकीय क्षेत्र के तत्व. चुम्बकात्वमापी. डाया, पैरा और फेरी चुम्बकत्व.

विद्युत चार्ज, विद्युत क्षेत्र और विभव : कूलाम्ब नियम.

विद्युत धारा-विद्युत सेल, ईएमएफ, प्रतिरोध, एमीटर और वोल्टमीटर. ओहम का नियम : श्रेणी और समान्तर में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, धारा का तापन प्रभाव.

व्हीटस्टोन ब्रिज, विभवमापी :

धारा का चुम्बकीय प्रभाव; सीधे तार, कुंडली और सेलिनावाड : विद्युत चुम्बक, विद्युत-घंटी, चुम्बकीय क्षेत्र में चालक वाली धारा पद बल; चल कुंडली-धारामापी, एमीटर या वोल्टमीटर परिवर्तन, धारा के रासायनिक प्रभाव; प्राथमिक और स्टोरेज सेल में उनकी क्रियाविधि, विद्युत अपघटन के नियम. विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा; सरल एसी तथा डीसी जनित्र, ट्रांसफार्मर, अपघटन कुंडली.

कैथोड किरणों, इलेक्ट्रान की खोज, परमाणु का बोहर माडल, डायोड और परिशोधक के रूप में इसके उपयोग.

एक्स किरणों का उत्पादन, गुण और उपयोग रेडियोधर्मिता-एल्फा, बीटा और गामा किरणें, नाभिकीय, ऊर्जा विखंडन और संलयन, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, श्रृंखला अभिक्रिया.

(ii) रसायन विज्ञान

भौतिकी रसायन विज्ञान :

1. परमाणु संरचना, संक्षेप में पूर्ण माडल. क्रिविम माडल के रूप में परमाणु, कक्षाएं परिसंकल्पना. क्वाण्टम संख्या और उनकी विशेषता; केवल आरम्भिक अभिक्रिया. पाली का अपवर्जन सिद्धांत. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. अफन सिद्धांत, एसपीडी और एफ ब्लाक तत्व.

आवर्ती वर्गीकरण : केवल दीर्घ रूप. आवर्त और इलैक्ट्रॉनिक विन्यास. परमाणु अनुपात. आवर्तक और ग्रुपों में विद्युत नकारात्मकता.

2. रासायनिक आवंधन, इलैक्ट्रोलेट, कोबलेंट कोर्डिनेट की ब्लेंट बंधन. जा. तथा एक्स. बंधनों के बंधन गुण, जल हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनियम क्लोराइड जैसे सरल अणुओं के आकार, मोलेक्युलर संबंध और हाइड्रोजन आवंधन.

3. रासायनिक अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन, उष्मा उन्मीची उष्माशोती अभिक्रिया. उष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग. स्थिर उष्मा संकलन की हैस का नियम.

4. रासायनिक संकलन और अभिक्रिया की दरें. द्रव्यमान व क्रिया का नियम. दबाव के प्रभाव. तापमान और अभिक्रिया दर पर केन्द्रीयकरण (ला चेटलियर के सिद्धांत पर आधारित गुणात्मक अभिक्रिया), आणु वक्रता, प्रथम और द्वितीय क्रम अभिक्रियाएं. संक्रियमण का ऊर्जा परिकल्पना. अमोनिया और सल्फर ट्राइआक्साइड के निर्माण के लिए प्रयोग.

5. विलयन, वास्तविक विलयन, कोलोडल विलयन और स्थगन. टन विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म और विलान पदार्थों के अणु भार निश्चित करना. क्वाली बिंदुओं का उनयन, हिमांक अवसादन. अस्मेट दबाव. राल्ट का नियम (केवल अनुष्मागतिकी अभिक्रिया).

6. विद्युत रसायन विज्ञान : विद्युत अपघटन. विद्युत अपघटन का फैराडे नियम. आयामी संयलन. घुलनशीलता उत्पाद. प्रबल तथा क्षीण अपघटन. अम्ल तथा बेस (लोबल तथा बुनिस्टाड की परिकल्पना) पीएच तथा उभय प्रतिरोधी विलयन.

7. आक्सीजन उपचयन : आधुनिक इलेक्ट्रानिकी परिकल्पना और आक्सीजन अंक.

8. प्राकृतिक तथा कृत्रिम विघटनामिकता : नाभिकीय विखंडन और संलयन. विघट नाभिक समस्थानिकों के उपयोग.

अजैव रसायन विज्ञान :

तत्वों का संक्षिप्त अभिक्रिया और उनके औद्योगिकीय महत्वपूर्ण मिश्रण :

1. हाइड्रोजन : आवर्त तालिका में स्थित हाइड्रोजन का समस्थानिक-गुणात्मक तथा घनात्मक विद्युति जल, कठोर तथा मृदु जल, उद्योगों में जल का उपयोग. भारी पानी और इसके उपयोग.

2. ग्रुप 1 तत्व. सोडियम हाइड्रोआक्साइड का विनिर्माण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराईड.

3. ग्रुप 2 तत्व. आश तथा बुझा हुआ चूना. जिप्सम. प्लास्टर ऑफ पेरिस. मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशिया.

4. ग्रुप 3 तत्व वीरक्स, एलमिया और एलम.

5. ग्रुप 4 तत्व कोयला, लकड़ी तथा ठोस ईंधन. सिलिकेट, जोलिटेस तथा अर्द्ध सुचालक. शीशा (प्रारंभिक अभिक्रिया).

6. ग्रुप 5 तत्व अमोनिया ओर नाइट्रिक अम्ल का विनिर्माण, शैल फास्फेट और रिनापट दियासिलाई.

7. ग्रुप 6 तत्व हाइड्रोजन और आक्साइड, गंधक की उपरूपता सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक के आक्साइड.

8. ग्रुप 7 तत्व. फलोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का निर्माण तथा उपयोग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ब्लीचिंग पाउडर.

9. ग्रुप 0. (उत्कृष्ट गैस हीलियम और इसके उपयोग).

10. धातुकर्मीय संसाधन-तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, जस्ता तथा सीसे के विशिष्ट संदर्भ के साथ धातुओं को निकालने की सामान्य पद्यतियां. इन धातुओं को निकालने की सामान्य पद्यतियां. इन धातुओं की सर्वनिष्ट मिश्र धातु, निकिल मैगनीज इस्पात.

कार्बनिक रसायन विज्ञान :

1. कार्बन टेट्राहेड्ल स्वरूप. संस्करण जी.एन. बंधन तथा उनकी सापेक्षित शक्ति. जल तथा बहुबंधन अणु का आकार. ज्योमितीय तथा प्रकाशीय समावयवता.

2. एलकेन; एलकीन और एलकाईन के तैयार करने के गुण धर्मी और अभिक्रियाओं की समान्य पद्धतियां, पैट्रोलियम और इसका परिष्करण, ईंधन के रूप में इसके उपयोग.

एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन : अनुवाद और एरोमेटिकता. बैन्जीन तथा नेप्थालीन और इसके सदृश्य. एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं.

3. हैलोजन व्युत्पत्तियां; क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबैनजीन डीडीटी और गैमक्सीन.

4. हाइड्राक्सी मिश्रण-प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल, मिथनोल, एथलोन, ग्लीसरीन और फिनाल के तैयार करने, गुणधर्म उपयोग. एलिफेटिक कार्बन अणु पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं.

5. ईथर-डाईइथाइल ईथर.

6. एल्डीहाइड्स और केन्टास. फार्मलडीहाइड, एसीटेलाइज पेजेल्डाहाइड, एसोटीन एसेटोफिनोन.

7. नाइट्रो योगक एमीन, नाईट्रोवेन्जीन, टीएनटी एनीलाम डाइजीनियम योगिक. एजोडाइज.

8. कार्बोकसीलिक अम्ल : फोर्मीक, एसीटिक, बेनजोइक और सेलिसिलिक अम्ल, एसीटाइल सेलिसिलिक अम्ल.

9. एस्टर एथालरोसीटड, मिथइल, सेलीसिलेटस, ईथाइल बैंजोइट.

10. पालीमर्स : पोलीथीन टैफलान, पसपैक्स, कृत्रिम रबड़, नायलान और पोलिस्टलत.

11. कार्बोहाइट्रस, वसा और लिपीडस, एमीनो अम्ल और प्रोटीन विटामिन और हार्मोन्स की असंरचनात्मक अभिक्रिया.

प्रश्न पत्र III

गणित

1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों का सम्मिलन व सर्वनिष्ठ, समुच्चय का पूरक समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समष्टीय समुच्चय और घात समुच्चय, वेन आरेख और साधारण अनुप्रयोग. दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, संबंध व प्रतिचित्रण-उदाहरण, समुच्चय पर द्वि-आधारी संक्रिया-उदाहरण.

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण. संमिश्र संख्याएं : मापांक, कोणांक, संमिश्र संख्याओं पर बीजगणितीय संक्रिया. ईकाई का धनमूल. संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली, दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन. अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी. अंकगणितीय श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी को अन्तर्ग्रस्त करके श्रेणियों का संकलन. वास्तविक गुणांकों के द्विघात समीकरण. द्विघात व्यंजक, चरम मान. क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग.

आव्यूह तथा सारणिक : आव्यूहों के प्रकार, समानता, आव्यूह योग तथा अदिश गुणन गुणधर्म, गुणन-गुणधर्म आव्यूह गुणन-अक्रम-विनियम तथा योग के सापेक्ष वितरण गुणधर्म, आव्यूह-परिवर्त, आव्यूह का सारणिक, उपसारणिक तथा सह-खण्ड. सारणिकों के गुणधर्म. अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह-वर्ग आव्यूह का सहखंडज तथा व्युत्क्रम. दो तथा तीन चरों में रेखिक समीकरणों के समूह का हल-निराकरण विधि, क्रैमर नियम तथा आव्यूह व्युत्क्रमण विधि. (m पंक्ति तथा n स्तंभ सहित आव्यूह जहां $m, n \leq 3$ माना जाना है).

समूह की धारणा, समूह की कोटि, आबेली समूह. तत्समक तथा व्युत्क्रम अवयव-साधारण उदाहरणों द्वारा समझना.

2. त्रिकोणमिति : संकलन एवं व्यवकलन-सूत्र, बहुल तथा अपवर्तक कोण, गुणनफल तथा गुणनखंड सूत्र, व्युत्क्रम त्रिकोणमितिय फलन-प्रांत, रेंज तथा ग्राफ. द-मायवर प्रमेय, साइन तथा कोसाइन के बहुगुणकों की श्रेणी में साइन $n\theta$ तथा कोस $n\theta$ का प्रसार. साधारण त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल. अनुप्रयोग : ऊंचाई व दूरी.

3. विश्लेषक ज्यामिति (दो विमाएं) : आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी, विभिन्न प्रकारों में सरल रेखा के समीकरण, दो रेखाओं को मध्य कोण, एक रेख से एक बिन्दु की दूरी. अक्षों का रूपांतरण. सरल रेखाओं के युग्म, x तथा y में द्वितीय डिग्री के सामान्य समीकरण-सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करने की शर्तें, प्रतिच्छेद बिन्दु, दो रेखाओं का मध्य कोण. मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत का समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के समीकरण, दो वृत्तों की लंब कोणीयता, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानव समीकरण-प्राचलिक समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के कार्तीय तथा प्राचलिक दोनों प्रकार के समीकरण.

4. अवकल गणित : वास्तविक मान फलन की अवधारणा-प्रांत, रेंज व ग्राफ, संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, वास्तविक फलनों का बीजगणित. बहुपद, परिमेय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी, तथा लघु गणकीय. (लागोरिथमीय) फलनों के उदाहरण. सीमांत की धारणा, मानक सीमांत उदाहरण. फलनों को सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीजगणितीय संक्रिया. एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलज, एक अवकलज के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग. फलनों के योग, गुणनफल और भागफल के अवकलज, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज, श्रृंखला नियम. द्वितीय क्रम अवकलज. रौले का प्रमेय (केवल प्रकथम), वर्धमान तथा ह्रासमान फलन. एक फलन में उच्चिष्ठ, अल्पिष्ठ, उच्चतम तथा लघुतम मानों की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग.

5. समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण :

समाकलन गणित : अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडश : समाकलन, बीजीय व्यंजक त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलनों को अंतर्ग्रस्त करके मानक समाकलन निश्चित समाकलनों का मानांकन-वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों पर निर्धारण-अनुप्रयोग.

अवकलन समीकरण : अवकल समीकरण की कोटि तथा डिग्री की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकल समीकरण की रचना. अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल. विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकल समीकरणों का हल-उदाहरण. नियत गुणांकों के द्वितीय कोटि समघात अवकल समीकरण का हल.

6. सदिश तथा इसके अनुप्रयोग : सदिश का परिमाण तथा दिशा, समान सदिश, इकाई सदिश, शून्य संदिश, दो तथा तीन विभाओं में सदिश, स्थिति सदिश. सदिश का अदिश द्वारा गुणन, दो सदिशों का योग व अन्तर, योग का समांतर चतुर्भुज नियम तथा त्रिभुज नियम. सदिशों का गुणन-दो सदिशों का आदि गुणनफल या बिन्दु गुणनफल, लम्बता, क्रम विनिमेय तथा बंटन गुणधर्म, दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रास गुणनफल-इसके गुण, दिए गए दो सदिशों का लम्ब इकाई सदिश. अदिश तथा सदिश त्रिक गुणनफल. सदिश रूप से एक रेखा, समतल तथा गोले का समकीरण-साधारण प्रश्न, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा सदिश पद्धति द्वारा समतल ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति के प्रश्न. बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य.

7. सांख्यिकी तथा प्रायिकता : सांख्यिकी : बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण. ग्राफी निरूपण-आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रिय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक. प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना. सहसंबंध तथा समाश्रयण.

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं, असंभव तथा निश्चित घटनाएं. घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ. पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं. प्रायिकता की परिभाषा : चिरसम्मत और सांख्यिकीय-उदाहरण प्रायिकता का प्रारंभिक प्रमेय. साधारण प्रश्न. सप्रतिबंध प्रायिकता, बेज प्रमेय-साधारण प्रश्न. प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर. द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण.

व्यक्तित्व परीक्षण

प्रत्येक उम्मीदवार का एक ऐसे बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा जिसके सामने उम्मीदवार के शैक्षिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के जीवन वृत्त का अभिलेख होगा. उनसे सामान्य हित के मामलों से संबद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे. उनके नेतृत्व में पहलशक्ति और बौद्धिक उत्सुकता, व्यवहार कुशलता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यवहारिक प्रयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यनिष्ठा के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा.

परिशिष्ट-II (क)

ऑन लाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार वेबसाइट **http://www.upsconline.nic.in** का उपयोग करके ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- ऑन लाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- ऑन लाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किए गए ₹ 50/- (केवल पचास रुपये) के शुल्क (महिला, अ.जा, अ.ज.जा. तथा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.
- ऑन लाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऐसे तरीके से .पीएनजी / .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो.
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 26 मार्च, 2011 से 25 अप्रैल, 2011 रात 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा.
- **उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**

परिशिष्ट-II (क)

ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र को भरने के लिये सामान्य अनुदेश/मार्ग निर्देश

सामान्य अनुदेश

1. उम्मीदवार **संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध किसी भी विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदी गई सूचना विवरणिका पुस्तिका के साथ दी गई ओएमआर प्रविष्टियों पर आधारित केवल नए सामान्य प्रपत्र (फार्म-ई) (मूल्य ₹ 30) का ही इस्तेमाल करें। उम्मीदवार किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छाया प्रति/प्रतिलिपि/अनधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें।** आयोग कार्यालय द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति **नहीं** की जाएगी।
2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र अपने हस्तलेख में ही भरना चाहिए । चूंकि, इस आवेदन प्रपत्र की जांच कंप्यूटर मशीन द्वारा की जाएगी, उम्मीदवार **आवेदन प्रपत्र को संभालने और उसे भरने में पर्याप्त ध्यान दें । वृत्तों को काला करने के लिए वे केवल काले बाल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। लिखने के लिए भी उन्हें काला बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए ।**
   चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों पर आवेदन प्रपत्रें की जांच करते समय उम्मीदवार द्वारा वृत्तों को काला करके की गई प्रविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाएगा, इसलिए अपनी प्रविष्टियां काफी सावधानी से और सटीक रूप में भरनी चाहिएं ।
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि और आयोग के साथ सभी पत्राचार, में किए गए हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो । यदि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवार द्वारा अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे **यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन पत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में पंहुच जाए ।** अंतिम तारीख के बाद आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
6. उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय, अपने परीक्षा केंद्र के चयन का निर्णय सावधानीपूर्वक करें।
7. **उम्मीदवारों को चाहिए कि वे पावती कार्ड पर अपना आवेदन प्रपत्र सं.** (जैसा कि प्रपत्र पर बार कोड के नीचे मुद्रित है) **और परीक्षा का नाम अर्थात् "स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011" लिखें ।** उन्हें पावती कार्ड पर साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने पत्राचार का पता लिखना चाहिए और कार्ड पर ₹ 6/- का **डाक टिकट** चिपकाना चाहिए । **पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टेपल या आलपिन लगाकर नत्थी न करें या प्रपत्र के साथ न चिपकाएं।**

पात्रता शर्तें (संक्षेप में)

(i) आयु सीमा :
सभी सेवाओं/पदों के लिए आयु सीमाएं 1 अगस्त, 2011 को 17 से 21 वर्ष है (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों तथा नोटिस के पैरा 3 (ii) में यथानिर्दिष्ट कतिपय अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट है ।)

(ii) शैक्षिक योग्यताएं :
कृपया नोटिस का पैरा 3 (iii) देखें।

(iii) शुल्क :
₹ 100/- (केवल एक सौ रु.)
(केवल महिला/अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं)

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 के लिए आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) में आवेदन भर रहे उम्मीदवारों के लिए अनुदेश।

महत्वपूर्ण : इस प्रपत्र को भरने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।

कालम-1 आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ-1

कॉलम-1 : आवेदित परीक्षा (यदि पात्र हैं)

परीक्षा का नाम, SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES' EXAMINATION, 2011 **(केवल अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें)।**

परीक्षा का वर्ष, 2011 लिखें ।

परीक्षा कोड के रूप में वृत्त 07 को काला करें ।

कालम 2 : उम्मीदवार का नाम

इस कालम को भरने के लिए, बॉक्सों में पहले अपना पूरा नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) ठीक वैसे ही लिखें, जैसा आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है। एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें। नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें । तत्पश्चात, प्रत्येक अक्षर के नीचे के वृत्त को काला करें। खाली बॉक्स के नीचे वाले वृत्त को काला न करें । अपने नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्री, कुमारी, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें ।

कालम - 3 : जन्म की तारीख ।

अपने मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज अपने जन्म के दिन, महीने और वर्ष के लिए उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कालम - 4 : लिंग

अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कालम - 5 : राष्ट्रीयता

अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कालम - 6 : वैवाहिक स्थिति

अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कालम - 7 : केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 के लिए देय शुल्क ₹ 100/- (केवल एक सौ रूपये) है। महिला/ अ.जा./अ.ज.जा और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा । शुल्क **केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट** (न कि डाक टिकट) के माध्यम से **ही** देय है । भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है । डाकघर से अपेक्षित मूल्य वर्ग का **केवल** एक **ही** के.भ.शु. टिकट लें और उसे अच्छी प्रकार से बॉक्स के अंदर चिपका दें । प्रपत्र पर के.भ.शु. टिकट चिपकाने के बाद, उसे उसी डाकघर से, जहां से वह खरीदी गई थी, यथास्थान पर निरस्त करवा लें । के.भ.शु. टिकट को स्टेपल न करें ।

कालम - 8 : पिता का नाम

अपने पिता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें । प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें । नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्री डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें ।

कालम - 9 : माता का नाम

अपनी माता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें । प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें । नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें । नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्रीमती डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें ।

कालम - 10 : परीक्षा केन्द्र कोड

नीचे दी गई सूची में से उस उपयुक्त परीक्षा केन्द्र कोड का चयन करें, जहां आप स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 में सम्मिलित होना चाहते हैं और इसके बाद उपयुक्त वृत्तों को काला कर दें।

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2011 के केंद्रों और उनके कोडों की सूची

केंद्र	कोड	केंद्र	कोड	केंद्र	कोड
अगरतला	45	हैदराबाद	10	पोर्ट ब्लेयर	37
अहमदाबाद	01	इम्फाल	44	रायपुर	49
ऐजल	47	ईटानगर	48	रांची	41
इलाहाबाद	02	जयपुर	11	संबलपुर	53
बंगलुरू	03	जम्मू	34	शिलांग	16
बरेली	54	जोरहाट	46	शिमला	17
भोपाल	04	कोच्चि	24	श्रीनगर	18
चंडीगढ़	35	कोहिमा	43	तिरूवनन्तपुरम	19
चेन्नई	12	कोलकाता	06	तिरुपति	50
कटक	07	लखनऊ	26	उदयपुर	52
देहरादून	14	मदुरै	40	विशाखापट्नम	51
दिल्ली	08	मुम्बई	05		
धारवाड़	39	नागपुर	13		
दिसपुर	09	पणजी (गोवा)	36		
गंगटोक	42	पटना	15		

कालम 11: शैक्षिक योग्यता कोड

नीचे दिए गए कोडों में से सही शैक्षिक योग्यता संबंधी कोड का चयन करें और अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें ।

कोड	शैक्षिक योग्यता
1	यदि आपने अपेक्षित अर्हक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है।
2	यदि आप अपेक्षित अर्हक परीक्षा दे रहे हैं/दे चुके हैं।

कालम 12ः आयु में छूट संबंधी कोड

यदि आप आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, नीचे दी गई सारणी में से सही वर्ग कोड का चयन करें और अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्तों को काला करें ।

कोड सं.	श्रेणी	आयु सीमा में अनुमेय छूट
01	अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए	5 वर्ष
02	अ.पि.व.के लिए	3 वर्ष
03	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए	10 वर्ष
04	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि विकलांग व्यक्ति + अ.जा./अ.ज.जा.	15 वर्ष
05	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि विकलांग व्यक्ति + अ.पि.व.	13 वर्ष
06	किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्तक्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा सेवा कार्मिक	3 वर्ष
07	रक्षा सेवा के कार्मिक (जैसाकि कोड सं. 06 में) + अ.जा./अ.ज.जा.	8 वर्ष
08	रक्षा सेवा के कार्मिक (जैसाकि कोड सं. 06 में) + अ.पि.व.	6 वर्ष
09	कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित जिन भूतपूर्व सैनिकों ने 1 अगस्त, 2011 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या निर्मुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2011 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं।	5 वर्ष
10	कमीशन प्राप्त तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिक (जैसाकि कोड सं. 09 में) + अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
11	कमीशन प्राप्त तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिक (जैसाकि कोड सं. 09 में) + अ.पि.व.	8 वर्ष
12	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने 1 अगस्त, 2011 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह कि चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।	5 वर्ष
13.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी(जैसा कि कोड सं. 12 में) + अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
14.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 12 में) + अ.पि.व.	8 वर्ष
15.	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर,1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो।	5 वर्ष
16.	ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (जैसा कि कोड सं. 15 में) + अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
17.	ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (जैसा कि कोड सं. 15 में) + अ.पि.व.	8 वर्ष

कालम 13 : सुदूर क्षेत्र / विदेश संबंधी कोड

यदि आप सुदूर क्षेत्र या विदेश में रह रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिका से संगत कोड का चयन करें तथा उपयुक्त गोले को काला करें ।

सुदूर क्षेत्रों तथा विदेश के लिए क्षेत्र कोड

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	जम्मू और कश्मीर	09
मेघालय	02	हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-मंडल	10
अरूणाचल प्रदेश	03		
मिज़ोरम	04		
मणिपुर	05	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11
नागालैंड	06	लक्षद्वीप	12
त्रिपुरा	07	विदेश	13
सिक्किम	08		

कृपया ध्यान दें: परीक्षा के नोटिस में निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र में अथवा विदेशों में रह रहे उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र केवल डाक से जमा कराने के लिए एक सप्ताह के अतिरिक्त समय के हकदार होंगे।

कालम 14: अदा की गई शुल्क की राशि

यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा किया है तो संगत मूल्य वर्ग के वृत्त को काला करें ; अथवा यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा नहीं किया है और महिला, अ.जा., अ.ज.जा. अथवा शारीरिक रूप से अक्षम की हैसियत से शुल्क में छूट प्राप्ति का दावा किया है तो 'शुल्क में छूट' के वृत्त को काला करें ।

कृपया ध्यान दें: कालम 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार शुल्क केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में देय है।

कालम 15 : समुदाय

आप जिस समुदाय से संबंधित हैं, उसके सामने उपयुक्त गोले को काला करें।

टिप्पणी-1 : अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को, जो 'क्रीमी लेयर' में आते हैं और इस प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपना समुदाय 'सामान्य-वर्ग' के रूप में दर्शाना चाहिए।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार जो न तो अ.जा., अ.ज.जा. के और न ही अ.पि.व.समुदायों के हैं, उन्हें समुदाय वाले कालम में सामान्य-वर्ग को काला करना चाहिए तथा उसे खाली **नहीं** छोड़ना चाहिए।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में दर्शाए गए समुदाय की स्थिति में, आयोग द्वारा साधारणतः बाद में किसी स्तर पर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

कालम 16 : अल्पसंख्यक संबंधी स्थिति

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/ बौद्ध/पारसी) से संबंधित हैं तो अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कालम 17 : शारीरिक रूप से विकलांग

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग (अस्थि विकलांग/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) से संबंधित हैं, तो उपयुक्त वृत्त को काला करें ।

कालम 18 : पता

अपना पूरा डाक का पता, जिसमें आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें । दिए गए बॉक्स में पिन कोड भी लिखें । केवल **काले बॉल प्वाइंट पेन** से लिखें । बॉक्स के बाहर न लिखें ।

कालम 19 : फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

अपना हाल ही का 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का फोटोग्राफ, जिसमें **आपका नाम एवं जन्म की तारीख मुद्रित हो, दिए गए स्थान में अच्छी तरह से चिपका दें । फोटोग्राफ को स्टेपल न करें । फोटोग्राफ न तो आपके द्वारा हस्ताक्षरित हो और न ही अनुप्रमाणित होना चाहिए । आप अपने हस्ताक्षर काले बॉल प्वाइंट पेन से फोटोग्राफ के नीचे दिए गए स्थान पर भी करें ।**

आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ 2

कालम 20 से 27 : स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इनमें से कोई भी कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें इन कॉलमों को खाली छोड़ देना चाहिए।

कॉलम 28 : घोषणा

उम्मीदवार हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

कॉलम 29 : अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इस उद्देश्य के लिए दिए गए समुचित बाक्स में लिख दें ।

कॉलम 30 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

निर्धारित बॉक्स में **काले बॉल पैन** से अपने सामान्य हस्ताक्षर करें । आपके हस्ताक्षर, दिए गए बॉक्स के बाहर या उसकी सीमा को स्पर्श न करें । हस्ताक्षर के स्थान पर केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना **नाम न लिखें**। अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

फार्म भेजने का स्थान और उस पर हस्ताक्षर की तारीख का उल्लेख इस कार्य के लिए दिए गए निर्धारित स्थान पर अवश्य करें ।

कॉलम 31 : दिए गए निर्धारित बॉक्स में एस टी डी कोड सहित अपनी टेलीफोन सं. लिखें ।

कॉलम 32 : निर्धारित दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइन नम्बर लिखें ।

कॉलम 33 : दिए गए निर्धारित बॉक्स में अपना ई मेल आई डी लिखें ।

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें

1.	आपने केवल निर्दिष्ट किए गए प्रधान डाकघर / डाकघर से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ₹ 30 मूल्य वाला समान आवेदन प्रपत्र का प्रयोग किया है ।
2.	आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कालमों के उपयुक्त वृत्तों को काला करके भर दिया है ।
3.	आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 में अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो (अहस्ताक्षरित तथा असत्यापित) जिस पर आपका नाम तथा जन्मतिथि छपी हो, चिपका दिया है ।
4.	यदि आपके द्वारा शुल्क दिया जाना अपेक्षित है तो आपने अपेक्षित मूल्य का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट आवेदन पत्र के कॉलम 7 में लगा दिया है और इसे जारी करने वाले डाकघर से रद्द करवा लिया है ।
5.	आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 के नीचे तथा कॉलम 30 में दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
6.	आपने अपना पावती पत्र भर दिया है अर्थात दिए गए स्थान में अपने आवेदन प्रपत्र की संख्या और अपना पता स्पष्ट रूप से लिख दिया है ।
7.	आपने अपने पावती पत्र पर ₹ 6 (छः रु.) की डाक टिकट लगा दी है ।
8.	आप विवरणिका के साथ आपको दिए गए लिफाफे में आप केवल अपना एक आवेदन प्रपत्र तथा एक पावती पत्र भेज रहे हैं तथा अन्य कुछ भी अनुलग्नक इसके साथ संलग्न नहीं किया गया है ।
9.	आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड के लिफाफे के उपर परीक्षा का नाम अर्थात "स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा 2011" लिख दिया है ।

परिशिष्ट-III

मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन प्रपत्र उपलब्ध है

आंध्रप्रदेश मंडल : हैदराबाद जी.पी.ओ., हैदराबाद जुबली, काचिगुडा स्टेशन, खैराताबाद, सिकन्दराबाद, त्रिमूलगेरी, आदिलाबाद, अनन्तपुर, अरूंडेलपेट (गुंटूर), चित्तूर, कुड्डापा, एलूरू, काकीनाडा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मछलीपटनम, महबूबनगर, मेढक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विजयवाडा, विकाराबाद, विशाखापटनम, वारांगल.

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नगांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया.

बिहार मंडल : पटना जी.पी.ओ., बॉकीपुर, आरा, औरंगाबाद, बी. देवघर, बोकारो स्टील सिटी, बांका, बट्टियाँ, बेगुसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, चाईबासा, छपरा, डालटेनगंज, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गोपालगंज, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रांची, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान.

दिल्ली मंडल : दिल्ली जी.पी.ओ., नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, रमेशनगर, सरोजिनी नगर, लोधी रोड, कृष्ण नगर, अशोक विहार, संसद मार्ग, यू.पी.एस.सी. डाकघर.

गुजरात मंडल : गांधीनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनन्द, भरूच, भावनगर, भुज, दहोड, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहेसाना, नवरंगपुर, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, रेबड़ी बाजार, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाड, वडोदरा.

हरियाणा मंडल : अम्बाला जी.पी.ओ., अम्बाला सिटी, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत.

हिमाचल प्रदेश मंडल : शिमला, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, केलांग, कुल्लू, मंडी, नाहन, रिकांग पो, सोलन, ऊना.

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कथुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर, गांधी नगर मुख्यालय, जानीपुर, जम्मू कैंट, सांबा।

कर्नाटक मंडल : बंगलौर जी.पी.ओ., बंगलौर सिटी, बासावनगुडी, हाल 11 स्टेज, जयनगर, आर. टी. नगर, बगलकोट, रायचूर, राजाजीनगर, बेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा, दावेनगेर, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, हुबली, कारवार, कोलार, मदीकेरे, मानड्या, मंगलौर, मनीपाल, मैसूर, नानजागुड, शिमोगा, सिरसी, तुमकुर, उडूपी.

केरल मंडल : त्रिवेन्द्रम, अल्लीप्पे (अलाप्पुझा), कालीकट, कन्नानोर, एर्नाकुलम, कालपेट्टा, कासरगौड, कट्टप्पना, कोट्टायम, मलप्पुरम, पालघाट, पाथनमथीट्टा, क्विलोन, त्रिचूर, कावारत्ती **(लक्षद्वीप)**.

मध्य प्रदेश मंडल : भोपाल जी.पी.ओ., बिलासपुर, अम्बिकापुर, बालाघाट, बैतूल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवारा, दामोह, देवास, धाड़, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खारगोन, लश्कर, मंडला, मंडसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़ (बिओरा), राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर छावनी, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा.

महाराष्ट्र मंडल : मुम्बई जी.पी.ओ., मुम्बई मध्य, अंधेरी, बोरीवली, चेम्बूर, चिनेहबन्दर, दादर, गिरगांव, कालवादेवी, माहीम, मान्डवी, अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, धूले, जलगांव, जालना, कराड, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर जी.पी.ओ., नानदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सावंतवाडी, सोलापुर, थाणे, वर्धा, यवतमाल, मड़गांव **(गोवा)**, पणजी **(गोवा)**.

उत्तर-पूर्व मंडल : अगरतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा.

उड़ीसा मंडल : भुवनेश्वर जी.पी.ओ., अंगुल, बोलंगीर, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहामपुर, भद्रक, भवानीपटना, कटक जी.पी.ओ., धेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जयपुर (के), झारसुगुडा, केंद्रपारा, केंओंझारगढ़, कोरापुट, नयागढ़, परलाखेमुंडी, फूलबनी, पुरी, रायगाडा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़.

पंजाब मंडल : अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलन्धर सिटी, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर, **चन्डीगढ़**.

राजस्थान मंडल : जयपुर जी.पी.ओ., जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, हिन्दौन, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झूंझुनू, जोधपुर, कन्क्रोली, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़, सवाईमाधोपुर, शास्त्री मंडल उदयपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक.

तमिलनाडु मंडल : चेन्नई जी.पी.ओ., अन्ना रोड, संत थॉमस माउन्ट, टी. नगर, बोडिनायाकनूर, चेन्गलपट्टू, चिदाम्बरम्, कोयमबटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मदुरै, नागपट्टीनम, नागरकोईल, नामाक्कल, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सालेम, शिवगंगई, ताम्बरम, थन्जावूर, थिरूवन्नामलाई, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवायूर, तुराईयूर, तूतीकोरीन, उधागमंडलम्, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरूधुनगर, **पुडुचेरी**.

उत्तर प्रदेश मंडल : लखनऊ, लखनऊ चौक, आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी, अलमोड़ा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बांसी, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुदौन, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, धामपुर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोन्डा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हलद्वानी, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खेरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ओराई, पौरी, पडरौना, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, रूड़की, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, उन्नाव, वाराणसी.

पश्चिम बंगाल मंडल : कोलकाता जी.पी.ओ., अलीपुर, बड़ाबाजार, बेलियाघाट, बेलघरिया, कासीपुर, पार्क स्ट्रीट, टालीगंज, बालूरघाट, बांकुड़ा, बारासत, बहरामपुर, वर्धमान, चिन्सुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कृष्णनगर, मालदा, मिदनापुर, पुरूलिया, सूरी, सिलिगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर **(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)**, गंगटोक **(सिक्किम)**.

1. सैंट्रल बेस डाकघर (सी.बी.पी.ओ), 56 ए.पी.ओ.
2. सी.बी.पी.ओ. (99 ए.पी.ओ.) द्वारा चुनिंदा फील्ड डाकघर

परिशिष्ट-IV

इस परीक्षा के आधार पर चुने गए स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज हेतु अप्रेन्टिसशिप की शर्तें

अप्रेन्टिसशिप की शर्तों का उल्लेख इण्डियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में निर्धारित करार पत्र में कर दिया जाएगा. इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का करार करना होगा कि सरकार की संतुष्टि के अनुरूप स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस का प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहने वाले यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार न करने की स्थिति में जो धन उसे दिया गया है या सरकार द्वारा जो धन उस पर खर्च किया गया है, उसको लौटाने के लिए वह तथा उसका एक प्रतिभू संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से बाध्य होंगे. सरकार को खर्च की राशि के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार होगा अप्रेन्टिस की शुरू में एक चार वर्षीय प्रौद्योगिकी तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण इस आशय के बाधक अनुबंध पत्र के अंतर्गत लेना होगा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर भारतीय रेलवे में सेवा करनी पड़ेगी. उसकी 'अप्रेन्टिसशिप एक वर्ष बाद दूसरे वर्ष तभी रखी जाएगी जब जिस अधिकारी के अधीन वह कार्य कर रहा है उससे संतोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है. अप्रेन्टिसशिप के दौरान यदि किसी समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में संतुष्ट नहीं करता है कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसे अप्रेन्टिसशिप से अलग कर दिया जाएगा.

टिप्पणी : भारत सरकार अपनी विवक्षा पर प्रशिक्षण की अवधि तथा कोर्स में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सकती है.

2. उक्त संदर्भित प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण उनके चार वर्षों की अप्रेन्टिसशिप के लिए किसी रेलवे कार्यशाला में दिया जाएगा. इस अवधि के अंदर स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस को बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) से यांत्रिक इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी. अप्रेन्टिसों को पहले और दूसरे वर्षों के दौरान 9100/- रु. प्रतिमाह और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान 9400/- रु. प्रतिमाह तथा चौथे वर्ष के अंतिम छः महीनों के लिए 9700/- प्रति माह छात्रवृत्ति अनुमत है. अप्रेन्टिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे कुल आठ सिमेस्टर परीक्षाएं होंगी जिनमें पास होना अनिवार्य है. किसी भी परीक्षा में असफल होने पर, उनके निष्पादन के अनुसार उन्हें अनुपूरक परीक्षा में बैठने को कहा जा सकता है अथवा अगले लोअर बैच में भेजा जा सकता है अथवा अप्रेन्टिसशिप से हटाया जा सकता है.

टिप्पणी : सिवाए जैसा कि नीचे पैराग्राफ 4 में व्यवस्था है या उन मामलों में जहां वह अनाधीनता, असंयम या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है या कोई करार भंग कर दिया जाता है अप्रेन्टिसशिप से हटाने के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा.

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का चौथा वर्ष पूरा होने के बाद अप्रेन्टिसों की एक सूची दी गई परीक्षा या अप्रेन्टिसशिप की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर योग्यताक्रम में तैयार की जाएगी. सफल अप्रेन्टिस यांत्रिकी इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा में 18 महीने की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

नोट : किसी अप्रेन्टिस को अर्हक मानदण्ड प्राप्त किए तभी माना जाएगा जब वह अपने प्रशिक्षण की आठ सिमेस्टर परीक्षा के दौरान सभी परीक्षाओं में समग्र रूप में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करे तथा निदेशक, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियर्स संस्थान, जमालपुर तथा मुख्य कार्य प्रबंधक, जमालपुर कार्यशाला की रिपोर्टो में 60% अंक प्राप्त करें, बशर्ते कि आठ सिमेस्टर परीक्षा के प्रत्येक में वह कुल 40% अंक प्राप्त करता है तथा सभी विषयों में वह कम से कम 40% अंक प्राप्त करता है.

4. असफल प्रशिक्षुओं को, एक महीना पहले यह सूचना देकर कि उसकी प्रशिक्षता असफल रही, प्रशिक्षता से निवृत्त कर दिया जाएगा.

5. अप्रेन्टिसशिप के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद नीचे पैरा 6 में परन्तुक की शर्तों के अनुसार अप्रेन्टिसेज को यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा. यांत्रिकी इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की सामान्य शर्तों के विवरण भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नियमावली के परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं.

6. परिवीक्षा की अवधि 18 महीने होगी. परिवीक्षकों के रूप में नियुक्ति और वेतन का आरंभ (क) अप्रेन्टिसशिप की 4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से या (ख) प्रशिक्षण के पूरा करने की वास्तविक तारीख से जो भी बाद की हो, माना जाएगा.

बशर्ते, तथापि, वे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेटिसेज जो अप्रेन्टिसशिप के उनके चार वर्षों के अंदर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) से इंजीनियरी स्नातक होने में असफल रहे हों उन्हें परिवीक्षु के रूप में उस तारीख से नियुक्त माना जाएगा जिस दिन से सभी आठों सेमिस्टरों में पूरी तरह से पास हो गए हों.

नोट : (1) परिवीक्षकों को सेवा में बनाए रखने और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के बारे में तब ही विचार किया जाएगा जब तक उनके कार्य के संबंध में वर्ष के अंत में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए.

(2) किसी भी ओर से तीन मास का नोटिस दिए जाने पर परिवीक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.

परिशिष्ट-V

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म की एच.बी. पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर तथा नीली या काली स्याही वाले पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे.

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, पेजर, सेल्युलर फोन आदि परीक्षा हाल में न लाएं.

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा.

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा.

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा.

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा.

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें. ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा.

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक स्याही अथवा बाल प्वाइंट पैन से लिखें. उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (पेंसिल से) कूटबद्ध करें. उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं. यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें.

(ii) अनुक्रमांक लिखते समय उम्मीदवार और निरीक्षक को सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है. यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए.

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं. उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें.

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कम्प्यूटरीकृत मशीनों पर होगा अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए. **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल एचबी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए.** बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले या नीले कलम का इस्तेमाल करना चाहिए. चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए.

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

"वस्तुपरक" परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे. प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है.

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा. इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 .... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे. आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है. यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं. तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा.

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं. प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत छपे होते हैं. जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को पेंसिल से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है. उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें.**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार पेंसिल से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

उदाहरण ⓐ ● ⓒ ⓓ

यदि निशान गलत लग गया है तो उसे अच्छी तरह से मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगाएं.

11. उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर

आपको दिए गए उत्तर पत्रक और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला उपस्थिति सूची में लिखनी आवश्यक है और अपने नाम के सामने उपयुक्त कालम में हस्ताक्षर करने हैं. उपयुक्त विवरणों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए.

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें. यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है.

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें. आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे.

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है. यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए.

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा.

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code		Roll Number	
केन्द्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक	

मान लो यदि आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको स्याही या बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए.*

Centre	Subject	S. Code		Roll Number	
केन्द्र	विषय	विषय कोड	0 1	अनुक्रमांक	0 8 1 2 7 6
दिल्ली	पेपर-I सामान्य योग्यता परीक्षा (ए)				

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में स्याही या बाल प्वाइंट पेन से लिखें.

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं.

आप स्याही से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है. यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें.

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूंढे. जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करें. कूटबद्ध करने का कार्य एच.बी. पेंसिल से करें. केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए.

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य योग्यता विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है. इसे इस प्रकार लिखें.

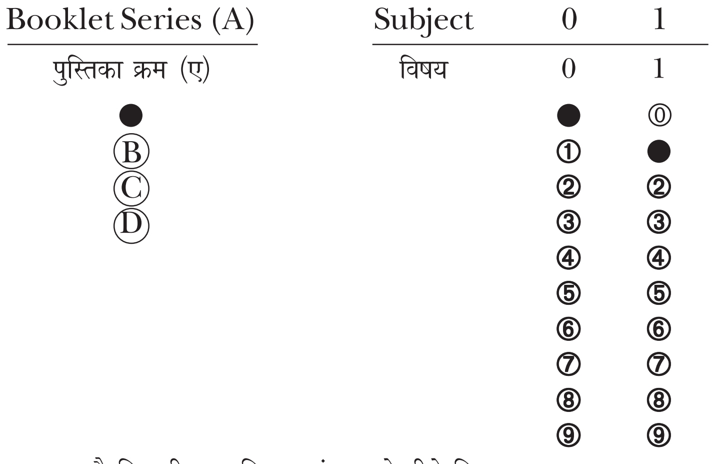

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

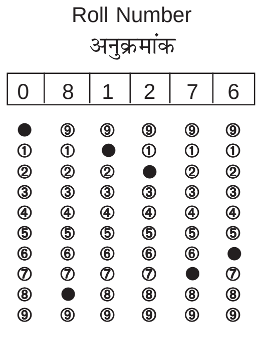

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है. यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसे पूरी तरह मिटाकर पुनः ठीक से भरें.

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

डीएवीपी 55104/11/0066/2011 **रो.स. 52/112**